

श्री विद्या दामोदर
132
20/11/18

28/3/19 पत्रावली बमुकाम बालोतरा पेश हुई। दिनांक 30/11/18
को वकील श्री अंतरालाल विष्टा ने एक वकालत
नामा अपीलान्त मूलसिंह की तरफ से पेश किया था
जो आज पत्रावली में शामिल किया गया। वक्त दिनांक
27/3/19 को बमुकाम बालोतरा अपीलान्त के 216/18
के वकालतनामे से नियुक्त वकील श्री सुबोधचंद्र
सोनी ने पेश किया एक प्रार्थना-पत्र। एक प्रार्थना-पत्र
पर अपीलान्त मूलसिंह के भी हस्ताक्षर हैं और इसके
निवेदन किया गया है कि - इनका नर के पुत्रमा में अपीलान्त
का रेस्पोजेंडण से "लोक अदालत की जागत एवं मजिस्ट्रेट
व्यक्तियों की सम्झाएंगे से राजीनामा हो चुका है, विवाहित
शुद्धि आदिमें राजेश्वर कक्कीशानामा से अपीलान्त की
पत्नी के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी है, एक कारण कि
अपीलान्त का रेस्पोजेंडण से कोई विवाद शेष नहीं है।
अपीलान्त एवं रेस्पोजेंडण के बीच राजीनामा होने से
अपीलान्त का अब कोई विवाद शेष नहीं रहने और
अविद्य में इसी विवाद को लेकर अपीलान्त कोई
चाराजोरी किसी भी न्यायालय में नहीं करेगा किंतु
प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्त एवं
रेस्पोजेंडण के बीच राजीनामा होने में अपीलान्त द्वारा
पुनः अपील आदिमें विद्रोहल खामिज परमाई जाने।

अपीलान्त के वकील अंतरालाल विष्टा
का पूर्ण इंतजार किया लेकिन उपस्थित नहीं हुए।
अपीलान्त मूलसिंह को एक संध में आज शरीर पेशी
की जानकारी होते एवं राजीनामा / विद्रोहल प्रार्थना-पत्र
बाबत कोई जानकारी यदि अंतरालाल विष्टा को
दे गई है और कोई आपत्ति भी है तो पेश की
जा सकती थी लिहाजा विद्रोहल प्रार्थना-पत्र
आज स्वीकार किया जाना चाहिए।

अपीलान्त का प्रार्थना-पत्र उपरोक्त
निबंधन कि अविद्य में एक अपील को प्रेष नष्ट को
लेकर किसी न्यायालय में चाराजोरी नहीं होगी, वकील
किना जाकर अपील आदिमें विद्रोहल खामिज की जारी है।
पत्रावली अंततः शुद्ध होकर दाखिल एका है।

श्री
बालोतरा